

ओडीओपी सामान्य सुविधा केन्द्र, योजना

उत्तर प्रदेश¹ सरकार की ओडीओपी एक महत्वकांक्षी योजना है जिसके अन्तर्गत जनपद लखनऊ का उत्पाद चिकनकारी एवं जरी-जरदोजी चुना गया है। योजनान्तर्गत जनपद लखनऊ में चिकनकारी एवं जरी-जरदोजी हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना का प्राविधान किया गया है जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं:-

1. चिकनकारी एवं जरी-जरदोजी के उद्यमियों हेतु कच्चा माल, कौल प्राप्त श्रमिक एवं एम.एस.एम.ई. सेक्टर की चिकनकारी एवं जरी-जरदोजी से सम्बन्धित इकाइयों की सामान्य समस्याओं के समाधान हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना का प्राविधान है।
2. सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु रु. 15.00 करोड़ तक की डीओपीआर पर उत्तर प्रदेश¹ सरकार द्वारा 90 प्रतिशत तक ग्रांट प्रदान की जा सकती है।
3. सामान्य सुविधा केन्द्र में नवीन तकनीक की मशीनों, श्रमिकों का चयन, कच्चा माल का बैंक, बायर्स सेलर मीट, डिजाइन केन्द्र, आदि सुविधाओं का प्राविधान हो सकता है।

4. प्रस्तावित सामान्य सुविधा केन्द्र एक एसओपीओ द्वारा संचालित किया जायेगा जो कि ट्रस्ट, को-ऑपरेटिव सोसाइटी या कम्पनी के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है जिसके सदस्यों की संख्या कम से कम 20 होगी।